Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 GISRRJ | Volume 4 | Issue 5 | ISSN : 2582-0095

भारत में महिला शिक्षा

डॉ मालती वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, ए.एन.डी. नगर निगम महिला महाविद्यालय,
कानपुर,उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4 Issue 5
Page Number: 70-78

Publication Issue :
September-October-2021

Article History
Accepted : 01 Sep 2021
Published : 30 Sep 2021

शोध सारांश–शिक्षा लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार, पंचायतों, सार्वजनिक मामलों आदि में भागीदारी के विचार को विकसित करती है, सतत विकास प्राप्त करने के लिए लड़कियों और महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई रणनीतियों और पहलों में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न उपकरण शामिल होने चाहिए जैसे शिक्षा का अधिकार और पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल, पर्याप्त पोषण, संपत्ति का अधिकार और समान अवसरों तक पहुंच, जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए कानूनी और संस्थागत तंत्रा, मीडिया तक पहुंच और अंत में विवाद निवारण तंत्रा। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण में बाधक बनने वाली सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है।

मुख्य शब्द– भारत, महिला, शिक्षा, लैंगिक, सरकार, पंचायत, सशक्तिकरण, पोषण, स्वास्थ्य।

परिचय– समाज में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। शैक्षिक उपलब्धि का स्तर और साक्षरता दर किसी भी समाज के सामान्य विकास के संकेतक हैं। समृद्धि और सतत विकास प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य है।

आजादी के बाद से, भारत ने राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए कई अलग–अलग रणनीतियों को अपनाया है। महिलाओं की समग्र स्थिति और स्थिति में भी सुधार हुआ है।

''शिक्षा ज्ञान का पूल है, और यह जीवन के सभी क्षेत्राों में मूल्यवान है।''

भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल साक्षरता दर 74: है और महिलाओं में साक्षरता दर 65.46: है। 2001 में भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत 54.16 प्रतिशत था। देश में साक्षरता दर 1951 में 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.00 प्रतिशत हो गई है। महिला साक्षरता दर भी 1951 में 8.86 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गई है। 1991–2001 की अवधि के दौरान महिला साक्षरता दर में 14.80: की वृद्धि हुई और जबकि पुरुष साक्षरता दर में 11.72: की वृद्धि हुई। महिला साक्षरता दर में वृद्धि पुरुष साक्षरता दर की तुलना में 3.15 प्रतिशत अधिक थी। तालिका 1 में भारत के सभी

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

राज्यों में साक्षरता की सामान्य दर के साथ–साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता की दर का विवरण दिया गया है। तालिका 2 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यवार साक्षरता दर के आंकड़े देती है।

तालिका 1: भारत की साक्षरता दर (2011 की जनगणना)

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या प्रतिशत	पुरूष प्रतिशत	महिलाएं प्रतिशत
1951	18ण3	27ण2	8ण9
1961	28ण3	40ण4	15ण4
1971	34ण5	46ण0	22ण0
1981	43ण6	56ण4	29ण8
1991	52ण2	64ण1	39ण8
2001	64ण8	75ण3	53ण7
2011	74ण00	80ण9	64ण6

तालिका 2: राज्यवार साक्षरता दर (जनगणना 2011)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा	कुल साक्षरता दर	प्रतिशत पुरुष साक्षरता दर	प्रतिशत महिला साक्षरता दर
भारत	**74.00**	**82.14**	**65.46**
जम्मू और कश्मीर	68.74	78.26	58.01
हिमाचल प्रदेश	83.78	90.83	76.60
पंजाब	76.68	81.48	71.34
चंडीगढ़	86.43	90.54	81.38
उत्तराखंड	79.63	88.33	70.70
हरयाणा	76.64	85.38	66.77
दिल्ली एनीआर	86.34	91.03	80.93
राजस्थान	67.06	80.51	52.66
उत्तर प्रदेश	69.72	79.24	59.26
बिहार	63.82	73.39	53.33
सिक्किम	82.20	87.29	76.43

अरुणाचल प्रदेश	66.95	73.69	59.57
नगालैंड	80.11	83.29	76.69
मणिपुर	79.85	86.49	73.17
मिजोरम	91.58	93.72	89.40
त्रिपुरा	87.75	92.18	83.15
मेघालय	75.48	77.17	73.78
असम	73.18	78.81	67.27
पश्चिम बंगाल	77.08	82.67	71.16
झारखंड	67.63	78.45	56.21
उड़ीसा	73.45	82.40	64.36
छत्तीसगढ	71.04	81.45	60.59
मध्य प्रदेश	70.63	80.53	60.02

अखिल भारतीय स्तर पर यह पता लगाया जा सकता है कि साक्षरता में लिंग अंतर कम हो रहा है और महिला साक्षरता दर हर दशक में बढ़ रही है। बहरहाल, दो लिंगों के बीच अंतर मौजूद है। आंकड़े बताते हैं कि साक्षरता दर और शैक्षिक लाभ के मामले में महिलाएं शुरू से ही पिछड़ी हुई हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण से भारत में परिवारों द्वारा लिंग–अनुपात और एक पुरुष बच्चे के लिए वरीयता को कम किया गया है, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयाँ भी हुई हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर वर्षों और उदासीन चरणों से जारी है। पिछले कुछ वर्षों में ही प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कम हुआ है।

महिला साक्षरता को बाधित करने वाले कारक

गरीब महिला साक्षरता दर के लिए कई तरह के कारक जिम्मेदार पाए गए हैं, जैसे।

1.लिंग आधारित असमानता।
2. सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण
3. घरेलू कामों में बालिकाओं का व्यवसाय
4.स्कूलों में लड़कियों का कम नामांकन
5.कम प्रतिधारण दर और उच्च छोड़ने की दर।

लड़कियों का नामांकन

पिछले वर्षों में डेटा शिक्षा के लिए नामांकन करने वाली लड़कियों की संख्या में लगातार गिरावट का संकेत देता है क्योंकि वे प्राथमिक से माध्यमिक और फिर उच्च शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर की ओर बढ़ते हुए संख्या में स्पष्ट गिरावट देखी जा सकती है।

लड़कियों की ड्रॉप–आउट दर

पिछले वर्ष के आंकड़े एससी और एसटी सहित सभी श्रेणियों के छात्राों के लिए स्कूली शिक्षा के शुरुआती चरणों में लड़कियों और लड़कों के बीच ड्रॉप आउट की दर को दर्शाते हैं। एनएसएसओ सर्वेक्षण द्वारा रिपोर्ट किए गए प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर में स्कूल छोड़ने के सामान्य कारणों में से कुछ हैं:

1.पढ़ाई में रुचि नहीं

2.लागत बहुत अधिक

3.घरेलू काम के लिए आवश्यक (जो मुख्य रूप से लड़कियों पर लागू होता है)

4.नकद या वस्तु के भुगतान के लिए बाहरी कार्य के लिए आवश्यक (यह मुख्य रूप से परिवार के युवा लड़कों पर लागू होता है)

5.पारिवारिक खेत/पारिवारिक व्यवसाय में काम करने के कारण

6.कम उम्र में शादी

इन कारणों के अलावा, लड़कियों का एक बड़ा हिस्सा पास में शैक्षणिक संस्थानों की अनुपलब्धता और यात्राा के नियमित और सुरक्षित साधनों की कमी के कारण छोड़ देता है। उचित शौचालयों/स्वच्छता और स्वच्छता के साधनों का अभाव भी युवा लड़कियों को स्कूलों में नहीं भेजने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है।

बालिका शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी योजनाएं

लड़कियों/महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रसार शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्राालय ने लड़कियों के स्कूल और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए कई पहल की हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

विद्यालय शिक्षा

1.कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय – यह योजना जुलाई 2004 में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह मुख्य रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्राों के लिए है जहां लड़कियों के लिए साक्षरता का स्तर बहुत कम है। जिन स्कूलों की स्थापना की गई उनमें 100: आरक्षण है: पिछड़े वर्ग के लिए 75: और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) लड़कियों के लिए 25:।

2.बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ– यह सरकार की नई घोषित योजना है। भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत की।

3.उड़ान – छात्राओं को पंख देना – यह योजना बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए समर्पित है, ताकि छात्राओं के प्रवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश

परीक्षाओं के बीच शिक्षण अंतर को दूर करना है। यह प्रोत्साहन और शैक्षणिक सहायता के माध्यम से प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन को बढ़ाने का प्रयास करता है।

4.महिला समाख्या– महिला समाख्या (एमएस) महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही एक योजना है जिसे 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कार्यक्रम में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों का अनुवाद करने के लिए शुरू किया गया था, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से उन लोगों के लिए सीमांत समूहों।

5.साक्षर भारत– राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 2009 में शुरू किए गए अपने नए संस्करण, साक्षर भारत के साथ पुनर्गठित किया गया था। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा में तेजी लाना है, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए (15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में) जिनकी औपचारिक शिक्षा तक पहुंच नहीं है, महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लक्षित महिला साक्षरता।

6.मध्याह्न भोजन योजना– स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतर कम हो जाता है, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना उन बाधाओं को दूर करने में मदद करती है जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती हैं। मध्याह्न भोजन योजना महिलाओं के लिए रोजगार का एक उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है और कामकाजी महिलाओं को दिन में घर पर खाना पकाने के बोझ से मुक्त करने में मदद करती है। इन और अन्य तरीकों से मध्याह्न भोजन योजना में महिलाओं और बालिकाओं की विशेष हिस्सेदारी है।

उच्च शिक्षा

1.मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की उच्च शिक्षा

2.पोस्ट स्कूल डिप्लोमा (पॉलिटेक्निक आदि): मौजूदा पॉलिटेक्निक में महिला छात्रावास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

3.वश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन और पदोन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

4.विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डे केयर सेंटर

5.पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड

6.उच्च और तकनीकी शिक्षा, महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावासों का निर्माण

7.विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन का विकास

8.उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों के क्षमता निर्माण की योजना

9.महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल फैलोशिप

सशक्तिकरण बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा ज्ञान और समझ हासिल करने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। उनमें ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।

न्याय और अधिकारः शिक्षा के अभाव में महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं, चाहे उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा हो। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, छेड़छाड़ महिलाओं के लिए आम मुद्दे हैं। जो लोग डर के मारे अशिक्षित होते हैं वे चुप रहते हैं और कभी आवाज नहीं उठाते। क्योंकि वे महिलाओं की चिंता के लिए बनाए गए कानूनों और नीतियों के बारे में नहीं जानते या नहीं जानते हैं। लेकिन एक शिक्षित महिला इसके बारे में जानती है और जानती है कि उस स्थिति से कैसे निपटना है। शिक्षा महिलाओं को उनके हक के लिए लड़ने की ताकत देती है।

आर्थिक रूप से स्वतंत्राताः सबसे महत्वपूर्ण चीज है पैसा या वित्तीय प्रतिष्ठान। शिक्षित महिलाएं अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी कमा सकती हैं और देश की जीडीपी में अपना योगदान भी दे सकती हैं। उन्हें दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय प्रतिष्ठान महिलाओं को अपने और अपने परिवार के लिए निर्णय लेने में मदद करता है।

स्वास्थ्य और स्वच्छताः शिक्षा के माध्यम से एक महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानती है जिससे वह अपने साथ–साथ अपने परिवार के बच्चे की देखभाल कर सकती है। निरक्षर माताओं की तुलना में स्कूली शिक्षा प्राप्त माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों में नवजात अवधि में मरने की संभावना 32ः कम होती है और प्रसवोत्तर अवधि में 52ः कम संभावना होती है।

साक्षर माताओं से पैदा हुए बच्चों का आईएमआर राष्ट्रीय औसत 57ः से कम है, जबकि निरक्षर माताओं में यह अधिक (68.5ः) है (चौधरी, पी.के.–2015)।

राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक सशक्तिकरणः राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रा में भी शिक्षित महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और समाज के लिए भी योगदान दिया जाता है। यहां हम डॉ. ममोनीरैसोम गोस्वामी, चंद्रप्रवासिकयानी, कल्पनावाला, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पटेल आदि जैसी शिक्षित महिलाओं के नाम का उल्लेख करते हैं, जो उनकी शिक्षा के कारण समाज में योगदान देने में सक्षम हैं।

तो, यह वह शिक्षा है जो महिलाओं को सशक्त बनाने और एक मानक जीवन जीने और समाज के हर क्षेत्रा में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करती है।

महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव

1. सबसे पहले सरकार, स्कूलों, विभिन्न संगठनों जैसे महिला शिक्षा के प्रति एनजीओ, सरकार द्वारा जागरूकता समस्याओं का आयोजन किया जाना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा के लिए योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम और महिला शिक्षा के लाभ।
2. विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्राथमिक से उच्च स्तर तक लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रावृत्ति, मुफ्त किताब, मुफ्त वर्दी, प्रवेश शुल्क कम करके वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
3. पिछड़े क्षेत्रा में ओ.डी. (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) प्रणाली का प्रावधान करना चाहिए ताकि महिलाएं आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4. व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान कम लागत पर उपलब्ध कराया जाए। जिससे महिलाएं अपनी रुचि के अनुसार अलग–अलग हुनर घ्ग्सीख सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

5. सबसे महत्वपूर्ण माता–पिता का रवैया बदलना चाहिए। माता–पिता को यह समझने की जरूरत है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए पैसा निवेश करना लड़कों के समान ही फायदेमंद है। जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम, मीडिया इस संबंध में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

एक अफ्रीकी कहावत है कि ''यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे देश को शिक्षित करते हैं'' और यह एकमात्रा सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे इस समय हमारे देश को समझने की आवश्यकता है। 2015 में 3.7 मिलियन योग्य लड़कियां स्कूल से बाहर थीं और ग्रामीण क्षेत्राों में लड़कियों को औसतन चार साल से कम शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे देश में जहां 21.9ः आबादी अपनी आधिकारिक गरीबी सीमा से नीचे है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गरीबी एक बड़ी बाधा है जो लड़कियों की शिक्षा को सीमित करती है।

लेकिन गरीबी ही एकमात्रा ऐसी चीज नहीं है जो भारतीय लड़कियों के शिक्षा के मौलिक अधिकार को बाधित कर रही है, इसके कई और भी कारक हैं जैसे संबंधित गांवों से स्कूलों की दूरी, स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं की कमी, महिला शिक्षकों की कमी, महिलाओं में लैंगिक पूर्वाग्रह। पाठ्यक्रम, उनके संबंधित परिवारों से समर्थन की अनुपस्थिति और यह सूची कभी समाप्त नहीं होती है। ग्रामीण परिवारों में एक आम धारणा है कि लड़कियों को यौवन तक पहुंचने के बाद स्कूली शिक्षा बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अक्सर लड़कों द्वारा उनके घर से स्कूल तक की लंबी सैर के दौरान उन्हें छेड़ा जाता है। भारत में एशिया में बाल वधू की संख्या सबसे अधिक है और अनिवार्य रूप से युवा लड़कियों के आसपास यह हठधर्मिता है कि उन्हें शिक्षित करना समय और धन की बर्बादी है क्योंकि वे केवल शादी करने और घर का प्रबंधन करने के लिए पैदा हुई हैं। ग्रामीण घरों में और विशेष रूप से गरीबों के बीच, बालिका गृहकार्य और खेतों में एक मूल्यवान संसाधन है, एक अतिरिक्त हाथ जिसे शिक्षा के माध्यम से बर्बाद नहीं किया जा सकता है और बहुत अधिक कीमत है कि अधिकांश ग्रामीण और गरीब परिवार भुगतान नहीं कर सकता।

नतीजतन, एक बड़ा लिंग अंतर उभरता है जिसे 2011 की जनगणना में उजागर किया गया था जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14ः थी, जबकि महिलाओं के लिए यह 65.46ः से पीछे थी। यद्यपि बालिकाओं का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कराना सबसे अधिक समस्याग्रस्त प्रतीत होता है, एक बार नामांकित हो जाने पर, बालिकाओं के अपनी प्राथमिक शिक्षा जारी रखने की अधिक संभावना होती है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, लड़कियों की प्रवृत्ति लड़कों की तुलना में अधिक होती है, जो फिर से माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को बनाए रखने की चुनौती पेश करती है। हमारे तथाकथित 'आधुनिक भारत' में, अनुमान बताते हैं कि ग्रामीण भारत में प्रत्येक 100 लड़कियों के लिए केवल एक ही कक्षा 12 तक पहुँचती है और लगभग 40ः लड़कियाँ पाँचवीं कक्षा तक पहुँचने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं और 15ः से अधिक बच्चे स्कूलों में पढ़ सकते हैं।

जब तक पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा के स्तर में अंतर रहता है, हमें यह महसूस करना चाहिए कि स्कूल जाना एक बात है, दूसरी ओर, जो शिक्षा मिलती है वह दूसरी बात है। सरकारी स्कूलों के भीतर–

भीड़भाड़ वाली कक्षाएँ, अनुपस्थित शिक्षक, अस्वच्छ स्थितियाँ आम शिकायतें हैं और माता–पिता को यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि यह उनके बच्चे के स्कूल जाने के लायक नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा आयोजित 2010 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि आरटीई अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 1.2 मिलियन शिक्षकों की आवश्यकता थी और केवल 5: सरकारी स्कूलों ने अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी मानकों और बुनियादी ढांचे का अनुपालन किया। इसके अलावा 40: कक्षाओं में 30 से अधिक छात्रा थे और 60: से अधिक में बिजली नहीं थी और 21: से अधिक शिक्षक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। यद्यपि भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए बहुत काम किया गया है, फिर भी हम अन्य विकासशील देशों के समान मानकों को प्राप्त करने से बहुत दूर हैं।

शिक्षा के लिए सभी विकास सूचकांक में 128 देशों में भारत 105वें स्थान पर है। भारत में शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया जाना है, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा में अधिकांश महिलाओं की भागीदारी के लिए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भले ही सरकार और विभिन्न स्वयंसेवी संगठन स्थानीय आबादी को महिला शिक्षा की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाने के कई प्रयासों में लगे हुए हैं, जब तक कि बालिकाओं के माता–पिता बालिकाओं को स्कूल भेजने में मूल्य और योग्यता नहीं देखते हैं, वे ऐसा करने का विरोध करेंगे और इसके बजाय घर के कामों या कृषि गतिविधियों में उसकी मदद का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। यह नितांत आवश्यक है कि हम महिलाओं के बीच इस विश्वास को शामिल करें कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और इसे प्राप्त करने का एकमात्रा संभव तरीका शिक्षा और इसका उचित उपयोग है। परिवारों को और अधिक रुचिकर बनाने का एक तरीका यह है कि उनकी लड़कियों को घर से दूर स्कूल भेजने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रा में अधिक स्कूलों को बनाकर उन्हें स्कूल भेजा जाए।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें महिला उद्यमियों और उभरती हुई नेताओं जैसे कि हमारी अपनी अंजलि को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिनका अविश्वसनीय साहस एक प्रेरणा है। अंजलि 16 साल की है लेकिन उसने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि स्कूल जाने और वापस जाने के दौरान उसे लगभग हर दिन यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। वह डरी हुई थी लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं खोई और अब वह हमारे संजय शिविर में हमारे सबसे मेहनती सदस्यों में से एक है और अपने जैसे अन्य लोगों की मदद करने के लिए सामुदायिक बैठकें आयोजित करने के लिए अथक प्रयास करती है। वह अब स्कूल में वापस आ गई है और सभी के लिए एक अनुकरणीय रोल मॉडल है।

निष्कर्ष– एक राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने और उसे विकास की दिशा में ले जाने में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे राष्ट्रीय सुधार के लिए आवश्यक जीवंत मानवता की आवश्यक संपत्ति हैं, इसलिए यदि हमें अपने देश में महिलाओं का उज्ज्वल भविष्य देखना है, तो उन्हें शिक्षा देना एक पूर्व–व्यवसाय होना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा समाज की स्थिति को बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। शिक्षा परिवार के भीतर उनकी स्थिति में सुधार के साधन के रूप में असमानताओं और कार्यों में कमी लाती है। सभी स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने में लिंग पूर्वाग्रह को कम करने के लिए राज्य में विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए।

शिक्षा लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार, पंचायतों, सार्वजनिक मामलों आदि में भागीदारी के विचार को विकसित करती है, सतत विकास प्राप्त करने के लिए लड़कियों और महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई रणनीतियों और पहलों में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न उपकरण शामिल होने चाहिए जैसे शिक्षा का अधिकार और पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल, पर्याप्त पोषण, संपत्ति का अधिकार और समान अवसरों तक पहुंच, जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए कानूनी और संस्थागत तंत्रा, मीडिया तक पहुंच और अंत में विवाद निवारण तंत्रा। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण में बाधक बनने वाली सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है।

संदर्भ

1. हरपलानी डॉ0 बी0डी0 प्रसार एवं संचार।
2. डॉ0 प्रो0 वीरेन्द्र कुमार दुबे–गृह विज्ञान प्रसार एवं सम्प्रेषण।
3. डॉ0 जी0के0 अग्रवाल– भारत में सामाजिक परिवर्तन (समाज शास्त्रा)।
4. डॉ0 सुनीता मिश्रा – प्रसार विज्ञान।
5. https/hinjwikipedia.org.wiki
6. https/taiyarihelp.com.bharat-ratn.